प्राचार्य का कार्यालय,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

पत्रांक– 1392 / दिनांक– 23/07/2026

मेस एवं कैफेटेरिया के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण की छात्र खाद्य समिति (Student's Food Committee) 08 (आठ) मेस एवं 01 (कैफेटेरिया) के संचालन हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं आर्थिक रूप से सक्षम कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से मुहरबन्द लिफाफे में सील्ड निविदा दैनिक समाचार पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 20 (बीस) दिनों के अन्दर निबंधित/स्पीडपोस्ट के माध्यम से कार्यावधि 10:00 बजे पूर्वाह्न से संध्या 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। यदि 20 वें दिन अगर किसी प्रकार का अवकाश रहता है या किसी अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता है, तो उसके अगले दिन 05:00 बजे तक निविदा प्राप्त की जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी एवं छात्र खाद्य समिति (Student's Food Committee) के पास सुरक्षित रहेगा। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा दो तरह की होगी :– **(1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा**। दोनों अलग–अलग लिफाफे में सील्ड कर पुनः उसे बड़े लिफाफे में सील्ड कर उस पर किसी मद के लिए निविदा किया जा रहा है, अंकित कर प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को भेजना होगा। निविदा टंकित/कम्यूटराईज्ड होना चाहिए, हस्तलिखित तथा उद्घर्षण लिप्त लेखन वाले निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि की अगले तिथि को निविदा छात्र खाद्य समिति के द्वारा खोली जाएगी। उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत्त प्रतिनिधि प्राधिकार–पत्र के साथ उपस्थित रह सकते है। निविदा की विस्तृत जानकारी इस संस्थान के वेबसाइट **www.gmcbettiahwc.com** पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

23/07/26

प्राचार्य,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

निविदा एवं शर्तें :–

1. निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें :–

   i. विधिवत् भरी गई निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के कार्यालय में निर्धारित समय तक पहुँचना आवश्यक है। इसके पश्चात् तकनीकी निविदा खोली जाएगी तथा उसके उपरान्त वित्तीय निविदा खोली जाएगी।

   ii. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर क्रमांक अंकित होना चाहिए तथा अधिकृत्त हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।

   iii. यदि आवेदन किसी साझेदारी (Partnership) फर्म द्वारा किया गया है, तो आवेदन पत्र के साथ साझेदारी विलेख (Partnership Deed) की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

   iv. छात्र खाद्य समिति (Student's Food Committee) बिहार कोई कारण बताये किसी भी निविदा/आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है। विलम्ब से प्राप्त, अपूर्ण अथवा गोपनीय (Confidential) निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

   v. अनुबंध अवधि समाप्त होने पर विक्रेता को मेस एवं कैफेटेरिया परिसर को मूल विनिर्देशों एवं मानकों के अनुरूप समिति को वापस सौंपना होगा। किसी भी प्रकार की क्षति या कमी पाए जाने पर उसकी भरपाई विक्रेता द्वारा की जाएगी। समिति को अनुबंध प्रारंभ में जमा सुरक्षा राशि से आवश्यक मरम्मत या क्षति की भरपाई करने का अधिकार होगा।

   vi. मेस एवं कैफेटेरिया को सूचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक सभी सिविल, विद्युत एवं पलम्बिंग कार्य, अभियंत्रण विभाग की स्वीकृति तथा पर्यवेक्षण में ही किए जाऐंगे।

   vii. निविदा पर स्वयं निविदादाता अथवा उसके अधिकृत्त प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अधिकृत्त प्रतिनिधि का प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

   viii. केवल गैस एजेंसी द्वारा अधिकृत्त एल०पी०जी० गैस सिलेंडर का ही उपयोग भोजन बनाने हेतु किया जाएगा तथा इसकी व्यवस्था एवं व्यय ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।

   ix. छात्र खाद्य समिति समय–समय पर मेस एवं कैफेटेरिया में भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का निरीक्षण करेगी। गुणवत्ता निरीक्षकों के द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करना लाइसेंसधारी के लिए अनिवार्य होगा, ताकि छात्रों एवं चिकित्सकों की संतुष्टि के अनुरूप मानकों को बनाए रखा जा सके। यदि सेवा अत्यंत असंतोषजनक पाई जाती है, तो समिति लाइसेंसधारी पर आर्थिक दण्ड (Fine) लगा सकती है।

2. लाइसेंसधारी समय–समय पर लागू केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी प्रासंगिक श्रम कानूनों एवं अन्य वैद्यानिक नियमों का पालन करेगा।
3. अनुबंध की अवधि प्रारंभ में 01 (एक) वर्ष की होगी, जो अनुबंध प्रदान किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी। पारस्परिक सहमति एवं संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर इसे अधिकतम 03 (तीन) वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रथम माह (Trail Period) माना जाएगा। परीक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने पर अनुबंध स्वतः अगले 12 माह (परीक्षण अवधि सहित) के लिए प्रभावी रहेगा। यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही, त्रुटि अथवा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो छात्र खाद्य समिति ठेकेदार पर जुर्माना/दंड लगा सकती है अथवा अनुबंध समाप्त कर सकती है।
4. ठेकेदार को प्रतिमाह ₹ 3,000/- (तीन हजार रूपये) किराया जमा करना होगा तथा विद्युत एवं जल शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा।
5. लाइसेंसधारी इस लाइसेंस के संबंध में किसी भी प्रकार का उप–अनुबंध (Sub-Contract) नहीं करेगा तथा न ही लाइसेंस अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या सौंपेगा।
6. लाइसेंसधारी आवंटित स्थान का उपयोग केवल अनुबंध में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए करेगा तथा किसी अन्य कार्य हेतु उसका उपयोग नहीं करेगा।
7. मेस एवं कैफेटेरिया हेतु आवंटित परिसर की सफाई विक्रेता अपने कर्मचारियों द्वारा स्वयं सुनिश्चित करेगा।
8. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।
9. प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को किसी भी समय निविदा की किसी भी शर्त्त में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. तकनीकी निविदा के साथ माँगे गए सभी सहायक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा वे निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा स्वप्रमाणित (Self-attested) होने चाहिए।
11. यदि आवेदन अधूरा पाया जाता है अथवा आवेदक निविदा सभी शर्त्तों एवं नियमों से सहमत नहीं होता है, तो उसका आवेदन बिना किसी अन्य विचार के अस्वीकार कर दिया जाएगा।
12. लाइसेंसधारी केवल ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, जिनका पुलिस सत्यापन कराया गया हो तथा जिनकी चिकित्सा जाँच उसके स्वयं के व्यय पर संस्थान की संतुष्टि के अनुसार कराई गई हो।
    i. बाल श्रम (Child Labour) का किसी भी परिस्थिति में उपयोग नहीं किया जाएगा।
    ii. सभी कर्मचारियों को पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
    iii. प्रत्येक कर्मचारी को फोटोयुक्त पहचान–पत्र (Identity Card) जारी किया जाएगा, जिसे कार्य अवधि के दौरान परिसर में सदैव प्रदर्शित करना होगा।
    iv. मेस एवं कैफेटेरिया के कर्मचारियों की प्रवेश एवं निकासी के समय सुरक्षा जाँच की जाएगी।

13. परिसर में कार्यरत अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या अथवा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति की क्षति के लिए विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. लाइसेंसधारी मेस/कैफेटेरिया परिसर अथवा उसके किसी भी भाग का उपयोग आवासीय (रहने) के उद्देश्य से नहीं करेगा और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को बिन वैध अनुमति के मेस/कैफेटेरिया परिसर या उसके आस–पास अनावश्यक रूप से रूकने देगा।
15. लाइसेंसधारी मेस/कैफेटेरिया भवन की संरचना में किसी भी प्रकार का स्थायी परिवर्तन, निर्माण या संशोधन नहीं करेगा। हलांकि, जनहित में आवश्यक अस्थायी निर्माण की अनुमति समिति के द्वारा दी जा सकती है।
16. लाइसेंसधारी अपने व्यय पर मेस एवं कैफेटेरिया के सूचारू संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षक (Supervisors), रसोइये (Cooks), सहायक (Helpers) एवं अन्य आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। सभी कर्मचारियों का संक्रामक रोगों के लिए चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
17. लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों के वेतन, भविष्य निधि, बोनस, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वर्दी तथा अन्य सभी वैद्यानिक भुगतानों एवं श्रम कानूनों, नियमों एवं विनियमों के पालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
18. मेस/कैफेटेरिया परिसर में मादक पेय पदार्थों एवं तम्बाकू उत्पादों की बिक्री अथवा सेवा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में छात्र खाद्य समिति अनुबंध निरस्त करने तथा विधि अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत्त होगी।
19. विक्रेता भोजन पकाने के बर्तन, परोसने की सामग्री तथा भोजन कक्ष हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ स्वयं उपलब्ध कराएगा।
20. इस संस्थान के परिसर में सरकार एवं कॉलेज प्रशासन के निर्देशानुसार प्लास्टिक थैलियों एवं अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग पूर्णतः निषेध होगा।
21. यह अनुबंध पूर्णतः अस्थायी होगा तथा समिति के द्वारा 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व सूचना देकर किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।
22. कैटरर कैफेटेरिया/मेस में भोजन परोसने से संबंधित सभी व्यय स्वयं वहन करेगा।
23. भोजन निर्धारित समय पर बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराया जाएगा।
24. लइसेंसधारी कैफेटेरिया/मेस परिसर को सदैव स्वच्छ, व्यवस्थित एवं स्वास्थ्यकर बनाए रखेगा तथा बेतिया नगर निगम के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी उपविधियों का पालन करेगा।
25. लाइसेंसधारी अपने व्यय पर सभी वॉश बेसिनों पर चौबीसों घंटे साबुन, स्वच्छ नैपकिन/टिश्यू पेपर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
26. भोजन तैयार करने एवं परोसने वाले सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, स्वच्छ वेशभूषा पहनना तथा निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
27. भोजन तैयार करने एवं परोसने वाले सभी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त हेड कवर (Head Cap) तथा दस्ताने (Gloves) पहनना अनिवार्य होगा।
28. सभी खाद्य सामग्री को स्वच्छ, सुरक्षित, कीट–मुक्त एवं स्वास्थ्यकर स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।

29. कार्यस्थल पर क्रॉस–कंटेमिनेशन रोकने हेतु स्वच्छ कपड़ों, साफ–सफाई के उपकरणों एवं सुरक्षित स्वच्छता प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
30. मेस / कैफेटेरिया में समय–समय पर कीट नियंत्रण का कार्य लाइसेंसधारी के द्वारा कराया जाएगा। यदि मेस / कैफेटेरिया रसोई में विशेष कीट नियंत्रण उपचार की आवश्यकता होगी, तो उसकी व्यवस्था एवं व्यय भी लाइसेंसधारी स्वयं करेगा।
31. केवल अनुशंसित ब्रांडों के खाद्य पदार्थ एवं अन्य सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा।
32. एक बार परोसे गए भोजन का बचा हुआ भाग किसी अन्य भोजन में पुनः उपयोग नहीं किया जाएगा।
33. संस्थान की सम्पत्ति अथवा फिटिंग्स को होने वाली किसी भी क्षति की मरम्मत अथवा भरपाई लाइसेंसधारी द्वारा तत्काल अपने खर्च पर की जाएगी।
34. स्थानीय नियमों एवं विनियमों के अनुसार अपशिष्ट का पृथक्करण एवं उचित निस्तारण लाइसेंसधारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
35. लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारी विनम्र, शिष्ट एवं चिकित्सकों, छात्रों तथा अन्य आगंतुको के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करेंगें।
36. लाइसेंसधारी उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखेगा। इसके लिए मक्खीरोधी (Fly-proof) व्यवस्था, ढक्कनयुक्त कुड़ेदान तथा अन्य आवश्यक स्वच्छता उपकरणों की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
37. लाइसेंसधारी शिकायत–पुस्तिका (Complaint Book), आगंतुक–पंजी (Visitors Book) तथा सुझाव–पुस्तिका (Suggestion Book) उपलब्ध कराएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत अथवा सुझाव दर्ज कर सके। प्राप्त शिकायतों का निवारण 07 (सात) दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि किसी शिकायत के समाधान में 07 (सात) दिनों से अधिक समय लगे, तो इसकी पूर्व सूचना समिति को देना अनिवार्य होगा। इस नियम का पालन न करने पर लाइसेंसधारी पर ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जा सकता है।
38. लाइसेंसधारी उत्तम गुणवत्ता की सब्जियों एवं अन्य खाद्य सामग्री का उपयोग करेगा तथा निम्न गुणवत्ता अथवा अमानक वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा।
39. सुरक्षा कारणों से लाइसेंसधारी अपने सभी कर्मचारियों की सूची समिति को उपलब्ध कराएगा। सूची में प्रत्येक कर्मचारी का नाम, आयु, जन्म तिथि, लिंग, फोटो, शैक्षणिक योग्यता, पदनाम, स्थायी एवं अस्थायी पता, दूरभाष संख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी विवरण अंकित होगा। किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति अथवा सेवा समाप्ति की सूचना समिति को पूर्व में देना अनिवार्य होगा।
40. अनुबंध अवधि समाप्त होने अथवा जी०एम०सी०, बेतिया, पश्चिम चम्पारण द्वारा लाइसेंस समाप्त किए जाने पर लाइसेंसधारी आवंटित परिसर का कब्जा सभी उपलब्ध कराए गए उपकरणों एवं फिटिंग्स सहित अच्छी स्थिति में शांतिपूर्वक संस्थान को सौंपेगा। लाइसेंसधारी अपने सभी सामान एवं सामग्री 02 (दो) दिनों के भीतर परिसर से हटा लेगा। ऐसा न करने पर जी०एम०सी०, बेतिया को यह अधिकार होगा कि वह लाइसेंसधारी के जोखिम एवं व्यय पर उक्त सामान हटाकर उसकी लागत सुरक्षा राशि (Security Deposit) से समायोजित करें। यदि सुरक्षा राशि अपर्याप्त हो, तो शेष राशि

लाइसेंसधारी से वसूल की जाएगी। अनुबंध समाप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर सामान न हटाए जाने की स्थिति में जी०एम०सी०, बेतिया को सामान बेचकर व्यय की वसूली करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में लाइसेंसधारी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

41. **दंड (Penalty) संबंधी प्रावधान**

यदि निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो खाद्य समिति (Food Committee) के द्वारा कैटरर पर निम्नानुसार दंड लगाया जाएगा :–

(क) काउंटर पर शिकायत पंजी (Complaint Register) उपलब्ध न रखना अथवा शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित करने पर प्रत्येक अवसर पर ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) भोजन में किसी भी प्रकार का कीड़ा, विदेशी वस्तु अथवा अन्य वांछित पदार्थ पाए जाने पर प्रत्येक शिकायत पर ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।

(ग) एक ही दिन में गंदे बर्तनों के संबंध में प्रत्येक शिकायत पर ₹ 200/- (दो सौ रूपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।

(घ) यदि खाद्य समिति यह पाती है कि कोई भोजन उचित प्रकार से तैयार नहीं किया गया है, तो संबंधित अवसर पर ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।

(ङ) कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी, अनुचित व्यवहार अथवा अन्य किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रत्येक अवसर पर ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।

(च) पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद मेस एवं कैंटीन समिति की बैठक में स्वामी अथवा उसके अधिकृत्त प्रतिनिधि को अनुपस्थिति पर ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।

(छ) यदि लगातार तीन बार लगाए गए जुर्मानों के बाद भी ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व नोटिस देकर अनुबंध स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है।

(ज) अनुबंध में स्वीकृत्त ब्रांडों के अतिरिक्त अन्य ब्रांडों का उपयोग अथवा खाद्य पदार्थों मे मिलावट पाए जाने पर ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।

(झ) स्वच्छता संबंधी किसी भी गंभीर कमी का मूल्यांकन खाद्य समिति करेगी तथा आवश्यकतानुसार उचित दंड निर्धारित करेगी। अत्यधिक लापरवाही अथवा गंभीर उल्लंघन की स्थिति में कठोर दंड लगाया जाएगा।

(ञ) जी०एम०सी०, बेतिया के मेस एवं कैफेटेरिया में तैयार भोजन को किसी भी परिस्थिति में संस्थान के बाहर आपूर्ति नहीं किया जाएगा।

(ट) सफल निविदादाता पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा उसका उचित औचित्य (Justification) सक्षम प्राधिकार को प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।

42. **अनुबंध अवधि** :– लाइसेंस प्रारंभ में 12 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इसके उपरान्त, अनुबंध की शर्त्तों एवं नियमों के आधार पर लाइसेंसदाता (Licensor) एवं लाइसेंसधारी (Licensee) की पारस्परिक सहमति से इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

43. अनुबंध अवधि के दौरान दरों (Rates) में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि अनुबंध अवधि अथवा उसकी विस्तारित अवधि के दौरान ठेकेदार अनुबंध की शर्त्तों का पालन करने या मेस एवं कैफेटेरिया का संचालन करने में असमर्थता व्यक्त करता है, तो इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा तथा अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

44. लाइसेंसधारी एवं आगंतुकों / कर्मचारियों के बीच उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा खाद्य समिति के द्वारा किया जाएगा तथा समिति का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

45. सभी पैकेज्ड खाद्य सामग्री केवल अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ही बेची जाएगी। उन पर शीतकरण (Cooling), गर्म करने (Heating) अथवा भंडार (Storage) के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

46. खाद्य समिति विभिन्न खाद्य पदार्थों की न्यूनतम दरें (Minimum Item Rates) निर्धारित करेगी। कोई भी विक्रेता इन निर्धारित न्यूनतम दरों से कम मूल्य प्रस्तुत नहीं करेगा, ताकि भोजन की गुणवत्ता से समझौता न हो।

47. समिति द्वारा चयनित (Shortlisted) विक्रेताओं को जी०एम०सी०, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के सभी छात्र के समक्ष अपना प्रदर्शन (Demonstration) देना होगा। इसमें प्रत्येक विक्रेता अपनी प्रस्तावित दरें, कार्य अनुभव एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात् छात्र गुप्त मतदान (Closed Voting) करेंगें तथा सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले विक्रेता का चयन किया जाएगा।

48. नियुक्त रसोइए (Cook) के पास कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा।

49. मेस एवं कैफेटेरिया पूर्णतः प्रीपेड प्रणाली (Prepaid System) पर संचालित होगा। इसके लिए टोकन प्रणाली (Token System) को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि विक्रेता कोई अन्य व्यवहारिक एवं बेहतर विकल्प प्रस्तुत करता है और समिति उसे उपयुक्त समझती है, तो उसे भी स्वीकार किया जा सकता है।

50. मेस एवं कैफेटेरिया संचालक को अन्य मेस / कैफेटेरिया परिसर में उपलब्ध तीन निर्धारित कक्षों में से किसी एक में भी भोजन उपलब्ध कराना होगा, जिससे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तथा छात्रों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

घोषणा

मैं/हमने निविदा की सभी नियम एवं शर्त्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा उनसे पूर्णतः सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर :– ....

नाम :– ....

Prequalification Criteria

तकनीकी निविदा (Technical Bid) के साथ स्वामी/प्रोपराइटर द्वारा स्वप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

- (क) पिछले दो वर्षों का आयकर रिटर्न (Income Tax Return)
- (ख) PAN/TAN/TIN आदि की प्रति।
- (ग) खाद्य/कैटरिंग/मेस संचालन का वैद्य लाइसेंस की प्रति।
- (घ) नगर निकाय (Municipal) अथवा व्यापार (Trade) लाइसेंस की प्रति।
- (ङ) EPF/ESIC से संबंधित विवरण एवं प्रमाण–पत्र की प्रति।
- (च) पिछले दो वर्षों की बैलेंस शीट (Balance Sheet) की प्रति।
- (छ) साझेदारी फर्म होने की स्थिति में साझेदारी विलेख (Partnership Deed) की प्रति।
- (ज) सेल्स टैक्स/सेवाकर (Sales Tax/ Service Tax) प्रमाण–पत्र की प्रति।
- (झ) समान प्रकृति की सेवाओं से संबंधित अन्य संस्थानों द्वारा जारी कार्यादेश (कम से कम एक) की प्रति।
- (ञ) ISO प्रमाणन (ISO Certification), यदि उपलब्ध हो, जो उसकी प्रति।

नोटः– **जो भी निविदादाता उपर्युक्त पूर्व अर्हत्ता मानदंड (Prequalification Criteria) को पूरा नहीं करेंगें, उनकी तकनीकी निविदा (Technical Bid) मूल्यांकन के दौरान अस्वीकार कर दी जाएगी।**

(निविदादाता के लेटरहेड पर)

सेवा में,

खाद्य समिति (Food Committee)
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

महोदय / महोदया,

1. मैं / हम ....
हेतु अपनी निविदा प्रस्तुत करते हैं।
2. मैं / हमने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी नियम एवं शर्त्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है।
3. मैं / हम कैफेटेरिया एवं मेस की स्थापना एवं संचालन के संबंध में छात्र खाद्य समिति (Student's Food Committee) के द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं शर्त्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए सहमत है। मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत कोटेशन को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।
4. मैं / हम यह स्वीकार करते है कि यदि आवेदन में किसी प्रकार की काट–छाँट अथवा संशोधन किया गया है, तो उस पर विधिवत् हस्ताक्षर (Initial) किए गए है।
5. निविदा पत्र पर विधिवत् हस्ताक्षर एवं मुहर लगाई गई है। अंगूठे का निशान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. मैं / हम स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर अनुबंध / समझौते पर हस्ताक्षर करने का वचन देते है। ऐसा न करने की स्थिति में मेरी / हमारी निविदा निरस्त की जा सकती है तथा कार्य किसी अन्य निविदादाता को प्रदान किया जा सकता है।
7. स्थल की तैयारी, परिसर की स्वच्छता एवं उससे संबंधित अन्य सभी व्ययों का वहन मैं / हम स्वयं करेंगे तथा आवश्यक होने पर लाइसेंस जारी करने वाली कार्यकारी समिति (Executive Committee) से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करेंगें।
8. मैं / हम राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया द्वारा निविदा प्रपत्र में निर्धारित अथवा समय–समय पर जारी किए गए सभी नियमों एवं शर्त्तों का पालन करने हेतु पूर्णतः सहमत है।

विश्वासभाजन

(निविदादाता के हस्ताक्षर)
पूरा नाम एवं पता :

घोषणा (DECLARATION)

प्रेषक,

M/S.............................
....
....
....

सेवा में,

खाद्य समिति (Food Committee)
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण, पिन कोड– 845438

घोषणा,

1. मैं..
   पुत्र / पुत्री / पत्नी..
   उक्त एजेंसी / फर्म का स्वामी / निदेशक / अधिकृत्त हस्ताक्षरकर्त्ता हूँ तथा यह घोषणा करने एवं इस निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत्त हूँ।
2. मैंने निविदा दस्तावेज मे उल्लेखित सभी नियम एवं शर्त्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है, उन्हें पूर्णतः समझ लिया है तथा उनका पालन करने का वचन देता / देती हूँ।
3. आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी सूचनाएँ एवं दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रामाणिक हैं। मुझे / हमें यह पूर्ण जानकरी है कि यदि कोई सूचना असत्य अथवा कोई दस्तावेज जाली पाया जाता है, तो मेरी / हमारी निविदा किसी भी चरण में निरस्त की जा सकती है तथा मेरे हमारे विरूद्ध प्रचालित कानूनों के अनुसार विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
4. मैं / हम यह भी घोषणा करते है कि यदि हमारी एजेंसी के किसी स्वामी, साझेदारी अथवा निदेशक का किसी ऐसी संस्था से संबंध पाया जाता है, जिसके साथ सरकार ने व्यापारिक संबंध प्रतिबंधित (Banned) अथवा निलंबित (Suspended) कर रखे है, तो इसकी सूचना खाद्य समिति को जानकारी प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर देना सुनिश्चित करेंगें।

विश्वासभाजन

(निविदादाता के हस्ताक्षर)
समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर :

₹ 1,000/- (एक हजार रूपये) के नन् जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर

अनुबंध पत्र (Letter of Agreement)

1	लाइसेंसदाता (Licensor) :	छात्र खाद्य समिति (Student's Food Committee), राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।
2	लाइसेंसधारी (Licensee) :	
3	कार्य का नाम :	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के मेस/कैफेटेरिया में कैटरिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना।
4	अनुबंध अवधि :	अनुबंध की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से प्रारंभ होकर (01) एक वर्ष की होगी। पारस्परिक सहमति एवं संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर इसे अधिकतम (03) तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रथम माह परीक्षण (Trial Period) होगा। परीक्षण अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अनुबंध स्वतः एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही अथवा अनुबंध उल्लंघन पाया जाता है, तो खाद्य समिति ठेकेदार पर जुर्माना लगा सकती है अथवा अनुबंध समाप्त कर सकती है।

5. यह अनुबंध केवल छात्र खाद्य समिति एवं लाइसेंसधारी के मध्य सम्पन्न होगा।
6. समिति को अनुबंध के संचालन की निगरानी, आवश्यक संशोधन करने तथा अपने विवेकानुसार 15 दिन पूर्व सूचना देकर किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. कॉलेज प्रशासन को यह अधिकार होगा कि अनुबंध के प्रारंभ में जमा सुरक्षा राशि का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को पहुँचाई गई क्षति की भरपाई हेतु किया जाए। यदि क्षति की लागत सुरक्षा राशि से अधिक होती है, तो प्रशासन लाइसेंसधारी की अन्य चल सम्पत्ति जब्त कर शेष राशि की वसूली कर सकेगा।
8. मैं, लाइसेंसधारी, निविदा दस्तावेज की कंडिका 01 से 50 तक उल्लेखित सभी नियम एवं शर्त्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए सहमत हूँ। यदि मैं इनमें से किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करता/करती हूँ, तो मेरा अनुबंध निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।

लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर :

समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर :

₹ 100/- (एक सौ रूपये) के नन् जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर

शपथ पत्र (AFFIDAVIT)

मैं, श्री / श्रीमती ....पुत्र / पुत्री / पत्नी ....
...., निवासी ....
एजेंसी / फर्म / एम०एस०..
का स्वामी / निदेशक / अधिकृत्त हस्ताक्षरकर्त्ता होने के नाते विधिवत् शपथपूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता / करती हूँ :–

1. मैं उक्त एजेंसी / फर्म का अधिकृत्त हस्ताक्षरकर्त्ता हूँ तथा इस शपथ–पत्र एवं निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए पूर्णतः अधिकृत्त हूँ।
2. मैंने सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज तथा उसमें वर्णित सभी नियम एवं शर्त्तों को सावधानपूर्वक पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा उनका पालन करने का वचन देता / देती हूँ।
3. आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी सूचनाएँ एवं दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रमाणिक हैं। मुझे / हमें यह पूर्ण जानकारी है कि यदि कोई सूचना असत्य अथवा कोई दस्तावेज जाली पाया जाता है, तो मेरी / हमारी निविदा किसी भी चरण में निरस्त की जा सकती है तथा मेरे / हमारे विरूद्ध प्रचलित विधि के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
4. मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि मेरे / हमारे विरूद्ध अथवा मेरी / हमारी एजेंसी / फर्म के किसी स्वामी, साझेदार या निदेशक के विरूद्ध किसी न्यायालय, पुलिस, सतर्कता विभाग अथवा किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के समक्ष कोई लंबित आपराधिक मामला, जाँच या अभियोजन विचाराधीन नहीं है।
5. मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि मेरी / हमारी एजेंसी के किसी भी स्वामी, साझेदार अथवा निदेशक का किसी ऐसी एजेंसी से संबंध नहीं है, जिसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित (Baned), निलंबित (Suspended) अथवा काली सूची (Blacklisted) में डाला गया हो। यदि अनुबंध अवधि के दौरान ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसकी सूचना राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के क्रय समिति (Procurement Cell) को जानकारी प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर देना सुनिश्चित करेंगे।
6. मैं / हम यह भी घोषणा करते है कि हमारी फर्म / कम्पनी निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों (Eligibility Criteria) एवं नियमों का पूर्णतः पालन करती है। यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय पात्रता अथवा अनुबंध प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई तथ्य गलत पाया जाता है, तो संस्थान को अनुबंध समाप्त करने अथवा उपयुक्त विधिक कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर : ....
नामः ....
पदनामः ....
पता : ....
दिनांक : ....
स्थान : ....
एजेंसी की मुहर (Seal) : ....

SL. No.	Name of Items
	SNACKS
1	SAMOSA
2	PATTIES-VEG
3	PATTIES-PANEER
4	SANDWHICH-GRILLED
5	SANDWHICH-NORMAL
6	LITTI SABJI
7	BREAD PAKODA
8	PANEER PAKODA
9	CUTLET
10	PASTRY
11	GOL GAPPE
12	DAHI GOL GAPPE
13	SAMOSA CHAAT
14	TIKKI CHAAT
15	PAPDI CHAAT
16	DAHI BDA
17	BHEL PURI
18	FRUIT SALAD
19	BURGER VEG
20	BURGER-NON VEG
	BEVERAGES
1	TEA(PURE MILK)
2	HOT COFFEE
3	COLD COFFEE
4	LASSI
5	VANILLA SHAKE
6	PAPAYA SHAKE
7	BANANA SHAKE
8	CHOCOLATE SHAKE
9	STRAWBERRY SHAKE
10	MANGO SHAKE
11	BUTTER SCOCH SHAKE
	CHINESE
1	MAGGIE PLAIN
2	MAGGIE VEG
3	MAGGIE EGG
4	MAGGIE CHICKEN
5	CHOWMEIN VEG
6	CHOWMEIN EGG
7	CHOWMEIN CHICKEN
8	ROLL VEG
9	ROLL PANEER
10	ROLL SINGLE EGG
11	ROLL DOUBLE EGG
12	ROLL CHICKEN
13	ROLL EGG CHICKEN
14	MOMOS VEG
15	MOMOS CHICKEN
16	PASTA -VEG
17	PASTA - CHICKEN

INDIAN

1 DAHI
2 PANEER PARATHA
3 ALOO PARATHA
4 PYAJ PARATHA
5 PLAIN DOSA
6 MASALA DOSA
7 UTTAPPAM
8 PURI SABJI
9 CHOLA BATTURA
10 EGG OMLETTE
11 BREAD OMLETTE
12 EGG POCH
13 EGG BHUJIA
14 BOILED EGG

GREEN VEGETABLES

1 PHOOL GOBHI
2 BHINDI
3 PATTA GOBHI
4 ALOO MATAR
5 LAUKI
6 OTHER SEASONAL
7 MIX VEG
8 DAL FRY
9 DAL MAKHANI

RICE

1 PLAIN
2 JEERA
3 FRIED
4 EGG
5 CHICKEN

BIRIYANI

1 VEG
2 EGG
3 CHICKEN

BREADS

1 TAWA ROTI
2 BUTTER TAWA ROTI
3 TANDOORI ROTI
4 TANDOORI ROTI BUTTER
5 NAAN
6 NAAN BUTTER
7 LACHA PARATTA
8 STUFFED NAAN VEG
9 STUFFED NAAN PANEER

INDIAN CURRY

1 PALAK PANEER
2 PANEER CHILLY
3 PANEER BUTTER MASALA
4 PANEER KADAHI
5 PANEER HANDI
6 PANEER DO PYAAZA
7 MUSHROOM CHILLY
8 MUSHROOM BUTTER MASALA
9 MUSHROOM KADAHI
10 MUSHROOM HANDI
11 MUSHROOM DO PYAZA

12	CHICKEN CHILLY
13	CHICKEN BUTTER MASALA
14	CHICKEN KADAHI
15	CHICKEN HANDI
16	CHICKEN DO PYAZA
17	CHICKEN MASALA
18	CHICKEN LOLLY POP